



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226256
CG-DL-E-30032021-226256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 109]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

(i) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (ii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (iv) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; (v) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035; तथा (vi) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036 का निर्गम।

फा. सं. 4(17)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/2020.—भारत सरकार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को (i) ब्याज रहित(अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (ii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (iv) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; (v) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035; तथा (vi) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-

(i) केवल इसके अनुबंध में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में उसके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जैसाकि अनुबंध में दर्शाया गया है) को छोड़कर, किसी अन्य बैंक, कंपनी, कॉरपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:-

(i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंक से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख होगी।

3. प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में अनुरक्षित निवेशकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (जैसाकि अनुबंध में दर्शाया गया है) के अनुषंगी सामान्य बही खाते के साख पर "स्टॉक" के रूप में जारी किया जाएगा।

4. ब्याज एवं चुकौती :-

विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख को प्रतिदेय होंगी। विशेष प्रतिभूतियां ब्याज रहित होंगी और प्रतिभूतियां जारी करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। विशेष प्रतिभूतियों पर चुकौती मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। सरकारी विशेष प्रतिभूतियों का ब्यौरा निम्नानुसार होगा:

क्रम संख्या	प्रतिभूति	परिपक्वता की तारीख
1	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031	31 मार्च, 2031
2	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032	31 मार्च, 2032
3	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033	31 मार्च, 2033
4	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034	31 मार्च, 2034
5	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035	31 मार्च, 2035
6	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036	31 मार्च, 2036

5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन:-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं होगी।

6. सांविधिक प्रावधान:-

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसी विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित होंगी।

7. कर कानूनों की प्रयोजनीयता:-

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज का मूल्य समय-समय पर यथा लागू कर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जैसाकि अनुबंध में दर्शाया गया है) द्वारा विशेष प्रतिभूति में किए गए ऐसे निवेश को एक पात्र निवेश नहीं माना जाएगा जो निवेशकर्ता बैंक पर लागू सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंक द्वारा ऐसा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना अपेक्षित होता है।

9. एचटीएम प्रास्थिति :-

निवेशकर्ता बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां बिना किसी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

अनुबंध

(संदर्भ फा. सं. 4(17)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/2020 दिनांक 30 मार्च, 2021)

सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम एवं प्रतिभूतियों का आबंटन (i) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (ii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (iv) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; (v) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035; तथा (vi) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036, इस प्रकार है:

क्र.सं.	पात्र बैंक का नाम	परिपक्वता वर्ष (₹ करोड़)						(₹ करोड़)
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	आबंटित राशि
1	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	800	800	800	800	800	800	4800
2	इंडियन ओवरसीज बैंक	685	683	683	683	683	683	4100
3	बैंक ऑफ इंडिया	500	500	500	500	500	500	3000
4	यूको बैंक	435	433	433	433	433	433	2600
	कुल	2420	2416	2416	2416	2416	2416	14,500

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Issue of (i) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security, 2031; (ii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (iv) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2034; (v) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2035; and (vi) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2036.

F. No. 4(17)-B(W&M)/2020.—Government of India hereby notifies the issue of (i) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security, 2031; (ii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (iv) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2034; (v) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2035; and (vi) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2036 (hereinafter briefly described as the “Special securities”) on March 31, 2021.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

(i) Public sector banks as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and its subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except by public sector banks (as appearing in the Annexure) as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.

(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible banks.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing public sector bank's (as appearing in the Annexure) Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. The special securities shall be Non-interest bearing and no interest shall be payable on issue of the securities. Repayment of the Special securities will be made at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai. The details of Government Special Securities shall be as follows:

S. No.	Nomenclature of the Securities	Date of maturity
1.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special Gol Security 2031	March 31, 2031
2.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special Gol Security 2032	March 31, 2032
3.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special Gol Security 2033	March 31, 2033
4.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special Gol Security 2034	March 31, 2034
5.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special Gol Security 2035	March 31, 2035
6.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special Gol Security 2036	March 31, 2036

5. Transferability and Conversion:

The special securities shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the Special Security will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

8. Eligibility of Investment in Special Securities:

The investment in the special securities by public sector banks (as appearing in the Annexure) would not be considered as an eligible investment which is required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing bank.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by investing Bank, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

Annexure

(Ref. F. No.4(17)-B(W&M)/2020 dated March 30, 2021)

Name of the Public Sector Banks and Allocation of Securities (i) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security, 2031; (ii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (iv) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2034; (v) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2035; and (vi) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2036, is as under:

Sl. No.	Name of Eligible Bank	Maturing in Year (₹ crore)						(₹ crore)
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	Amount Allocated
1	Central Bank of India	800	800	800	800	800	800	4800
2	Indian Overseas Bank	685	683	683	683	683	683	4100
3	Bank of India	500	500	500	500	500	500	3000
4	UCO Bank	435	433	433	433	433	433	2600
	Total	2420	2416	2416	2416	2416	2416	14,500

By Order of the President of India,
RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.